

E-mail
Most Urgent

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चंडीगढ़।

सेवा में,

✓ सभी संबंधित डी.डी.ओ.
हरियाणा राज्य, श्रम विभाग।

क्रमांक: स्था0/2018/29659-710

दिनांक: 31.8.18

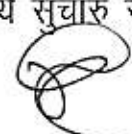
विषय:-

HRMS पोर्टल पर लम्बित कार्य का निष्पादन व Assured Career Progression (ACP) से संबंधित कार्य केस को पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 05.09.2018 को प्रातः 11.00 बजे श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकुला में प्रयोगशाला का आयोजन करने बारे।

उपरोक्त विषय के संबंध में।

विषय संबंध में आपको सादर सूचित किया जाता है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 01.03.2018 से ए.सी.पी. से संबंधित केसों को एच.आर.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किये जायें, परंतु आप द्वारा उक्त कार्य में कोई रुचि नहीं ली जा रही है।

कार्यालय द्वारा अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0) महोदय के अध्यक्षता में दिनांक 05.09.2018 को प्रातः 11.00 बजे श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकुला में एक प्रयोगशाला का आयोजन किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ संबंधित कर्मचारी, जोकि एच.आर.एम.एस. पोर्टल पर कार्य करते हैं, को निर्देश दे कि उक्त तिथि अनुसार उपस्थित होकर अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रहण करें ताकि कार्यालय का कार्य सुचारु रूप से चल सकें।


नोडल अधिकारी-कम-लेखा अधिकारी,
Human Resource Management System
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकान क्रमांक:

दिनांक:

पत्र की प्रति अवर सचिव, श्रम को भेजकर अनुरोध किया जाता है कि वह श्रम शाखा में कार्यरत संबंधित सहायक को अधिकारियों से संबंधित ए.सी.पी. के प्रशिक्षण हेतु मनोनित करें।

/

नोडल अधिकारी-कम-लेखा अधिकारी,
Human Resource Management System
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।